

कार्यालय:- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरोही (राजस्थान)

आवश्यक सूचना

क्रमांक :- 1904

दिनांक :- 27/06/25

पैरालीगल वॉलेन्टीयर्स की नियुक्ति हेतु आम सूचना

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्र क्रमांक 20812 दिनांक 22.11.2024 में दिए निर्देशानुसार निम्न सारणी के कॉलम संख्या 2 में अंकित क्षेत्र में विधिक सेवा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा विधिक जागरूकता के प्रचार-प्रसार हेतु उनके सम्मुख अंकित संख्या में कुल 21 पैरालीगल वॉलेन्टीयर्स (पी.एल.वी.) के पदों पर प्रशिक्षण हेतु चयन कर पैनल तैयार करने हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	नवीन लिये जाने वाले पीएलवी की संख्या
1	सिरोही	7
2	पिण्डवाड़ा	4
3	रेवदर	3
4	शिवगंज	3
5	आबुरोड़	4
कुल		21

पैरा लीगल वॉलेन्टीयर्स राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरोही के निर्देशानुसार कार्य करेंगे। पैरा लीगल वॉलेन्टीयर्स विधिक सेवा विलनिक का संचालन करेंगे तथा आमजन एवं विधिक सेवा संस्थाओं के मध्य कड़ी का कार्य करेंगे व पैरा लीगल वॉलेन्टीयर्स को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानदेय का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। पीएलवी की आरम्भिक नियुक्ति दिसम्बर 2025 तक की जावेगी। कार्यव्यवहार संतोषजनक पाए जाने की दशा में प्राधिकरण की आवश्यकतानुसार पीएलवी का पैनल संयोजन आगे 01 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

उक्त सारणी में अंकित पंचायत समिति के समक्ष उल्लेखित पी.एल.वी. हेतु उस पंचायत समिति के स्थानीय निवासीयों को प्राथमिकता दी जायेगी। जिला मुख्यालय हेतु पी.एल.वी. के चयन में भी स्थानीय सीमा (परन्तु अलग वार्ड या क्षेत्र) के निवासियों को प्राथमिकता दी जायेगी। स्थानीय निवासी नहीं मिलने पर पड़ोस की पंचायत समिति के निवासी को प्राथमिकता दी जायेगी। सामान्यतः चयनित पीएलवी का कार्यक्षेत्र सम्बन्धित पंचायत समिति क्षेत्र होगा परन्तु प्राधिकरण द्वारा आवश्यकता होने पर अन्य क्षेत्र में भी विधिक सेवा सम्बन्धी कार्य सौंपे जा सकेंगे।

- शैक्षणिक योग्यता :-** आवेदक का शिक्षित होना आवश्यक है। वरीयता का आधार आवेदक का दसवी की परीक्षा उत्तीर्ण होना होगा। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिन्दी लिखने तथा पढ़ने की कुल मिलाकर अच्छी व व्यापक जानकारी व क्षमता होनी चाहिए।
- आवेदन पत्र :-** अभ्यर्थी आवेदन पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय ए.डी.आर. सेन्टर, जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर, सिरोही से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं अथवा जिला न्यायालय की वेबसाईट <https://sirohi.dcourts.gov.in/> से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं।
- परीक्षा :-** आवेदकों का प्रशिक्षण हेतु चयन करने के पश्चात् उन्हें प्रशिक्षण दिया जायेगा व प्रशिक्षण के पश्चात् पी.एल.वी. की लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार लिया जाकर उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त पी.एल.वी. माना जाकर सफल घोषित किया जायेगा। सफल

- घोषित किये जाने के पश्चात् उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पहचान पत्र दिया जायेगा जिसमें राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का प्रतीक चिन्ह होगा।
4. चरित्र:- आवेदक द्वारा दो ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो आवेदक के सम्बन्धी न हो। ऐसे चरित्र प्रमाण-पत्र छः माह की अवधि से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।
5. शारीरिक योग्यता :- आवेदक को मानसिक व शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए तथा उसमें किसी प्रकार का शारीरिक दोष जो कि सामान्य सेवाओं के परिपालन में बाधा डालता हो, नहीं होना चाहिए।
6. आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रलेख प्रस्तुत किये जावे :-
- 1- जन्मतिथि प्रमाण पत्र हेतु सैकण्डरी स्कूल परीक्षा की अथवा प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
 - 2- शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रति।
 - 3- दो मूल चरित्र प्रमाण-पत्र दिनांक सहित जो छः माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।
 - 4- आवेदन पत्र पर स्वयं का हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट साईज का नवीनतम फोटो लगा होना चाहिए।
 - 5- जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
 - 6- आधार कार्ड एवं राशन कार्ड (निवास स्थान के सत्यापन हेतु) की स्वप्रमाणित प्रति।
7. आवेदन की अंतिम तिथि :- आवेदन पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरोही के कार्यालय ए.डी.आर. सेन्टर, जिला एवं सेशन न्यायालय, परिसर, सिरोही में दिनांक 14.07.2025 को कार्यालय समय समाप्ति (सांय 05:00 बजे) तक पहुंच जाना चाहिए। इस तिथि के पश्चात् व्यक्तिः अथवा डाक द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में न होने, अपूर्ण होने, वांछित प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न न होने, आवश्यक प्रमाण-पत्रों के संलग्न न होने पर अथवा अन्य किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा एवं उस पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
8. पात्रता :- पी.एल.वी. चयन करते समय यदि अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो उन्हें शोर्टलिस्टिंग कर साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा। पी.एल.वी. के लिये निम्नलिखित व्यक्ति पात्र हो सकते हैं :-
- 1) सेवारत एवं सेवानिवृत्त शिक्षक
 - 2) सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारी एवं वरिष्ठ नागरिक
 - 3) एम.एस.डब्ल्यू छात्र/छात्राएं व अध्यापक
 - 4) आंगनवाडी कार्यकर्ता
 - 5) चिकित्सकगण
 - 6) विधि छात्र (जब तक वे अधिवक्ता के तौर पर अपना नामांकन नहीं कराये)
 - 7) गैर राजनीतिक स्वयं सहायता समूह, सेवा हेतु समर्पित एनजीओ एवं क्लब के सदस्यगण
 - 8) महिला संगठनों के कार्यकर्ता, मैत्री संगम
 - 9) पिछड़े तबकों के लिए कार्य कर रहे स्वयं सेवी समूहों के सदस्यगण
 - 10) समाजसेवी व सामाजिक कार्यकर्ता
 - 11) शिक्षित बंदी जिसका अच्छा व्यवहार हो व लम्बे समय से सजा काट रहा हो।
 - 12) अन्य व्यक्ति जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सक्षम व योग्य समझे।

चयनित पी.एल.वी. के कर्तव्य (ड्यूटी) :-

1. समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को उनके विधिक अधिकारों से अवगत कराना।
2. विधिक सेवा केन्द्र पर निर्धारित दिवस पर निर्धारित समय अवधि में उपस्थित रहना।
3. आम नागरिकों के विवादों को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत व मध्यस्थता व राजीनामा के जरिए निस्तारित किये जाने की जानकारी देना।
4. पी.एल.वी. अपने सम्पर्क में आने वाले लोगों को विधिक सेवा संस्थाओं एवं विधिक सेवा कार्यों की विस्तृत जानकारी देगा, इनका प्रसार करने में कोई कसर नहीं रखेगा।
5. केन्द्र पर आने वाले प्रत्येक लाभार्थी की समस्या को पूरी संवेदनशीलता के साथ धैर्यपूर्वक सुनेगा, उसे अपने पास मौजूद पीएलवी निर्देशिका की सहायता से उचित सलाह देगा।
6. (a) प्रत्येक लाभार्थी को उसकी पात्रता के अनुरूप लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बतायेगा।
(b) लोक कल्याणकारी योजनाओं के आवेदन तैयार करने एवं आवश्यक औपचारिकतायें पूरी करने में लाभार्थियों की मदद करेगा।
7. पीएलवी द्वारा उनके क्षेत्र में होने वाले कार्यों पर नजर रखना व अन्याय होने की स्थिति में जरिये दूरभाष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को लिखित में या मौखिक रूप से अवगत कराना।
8. पीड़ित व्यक्ति की समूचित देखभाल व द.प्र.स. की धारा 357-ए के तहत समूचित मुआवजा मिलने बाबत जानकारी देना।
9. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अधिकृत किये जाने पर जेल, लॉकअप, मनोरोग अस्पताल, सम्प्रेषण गृह का निरीक्षण करना व उन्हें विधिक अधिकारों से अवगत कराना।
10. बाल अधिकार, बाल श्रम, बालकों का गायब होना, कन्याओं का अवैध व्यापार संबंधी अधिनियमों की अवज्ञा (वोयलेशन) होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को जानकारी देना।
11. विवादों का सेटलमेंट, प्रि-लिटिगेशन, लोक अदालत, मध्यस्थता के बारे में जानकारी देना व उनकी उपयोगिता बताना।
12. पी.एल.वी. द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उनके क्षेत्र में होने वाले विधिक सेवा कार्यक्रमों व शिविरों की जानकारी देना।
13. पी.एल.वी. द्वारा आम जनता को यह भी जानकारी दी जायेगी कि स्थाई लोक अदालत द्वारा विवादों का निस्तारण, पोस्ट एण्ड टेलिग्राफ, दूरसंचार, विद्युत सप्लाई, वाटर सप्लाई, बीमा व अस्पताल सम्बन्धी सेवाओं के विवाद कम खर्च में निस्तारित होते हैं।
14. पी.एल.वी. द्वारा उनके क्षेत्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं सम्बन्धी उपलब्ध कराये गये मटेरियल का प्रचार-प्रसार करना।

9. **स्पष्टीकरण :-** योग्य पाये गये आवेदकों को उनकी सहमति के आधार पर वॉलियन्टर (स्वयंसेवक) के रूप में पीएलवी के पैनल में जोड़ा जावेगा। चयनित पीएलवी किसी भी प्रकार से प्राधिकरण के स्थाई/अस्थायी/संविदा कर्मचारी नहीं माने जायेंगे, इन्हें केवल मानदेय आधार पर विधिक सेवा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु चयनित किया जावेगा। चयनित पी.एल.वी. को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा समय-समय पर नियत (फिक्स) मानदेय के अलावा अन्य किसी प्रकार का कोई वेतन, पारिश्रमिक या पेकेज नहीं दिया जायेगा। पैरा लीगल वॉलेन्टीयर्स का पैनल संयोजन पूर्णतः इस प्राधिकरण की संतुष्टि पर निर्भर रहेगा। असंतोषजनक कार्यव्यवहार पाएं

जाने पर समय पूर्व पीएलवी को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जाएगा। कार्यव्यवहार संतोषजनक पाए जाने की दशा में प्राधिकरण की आवश्यकतानुसार पीएलवी का पैनेल संयोजन आगे 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

10. साक्षात्कार :- प्राप्त आवेदनों की शोर्टलिस्टिंग व जांच के पश्चात् पी.एल.वी. के पेनेल में संयोजन हेतु योग्य पाये गये आवेदकों की सूची दिनांक 24/07/2025 को ए.डी.आर. भवन, सिरौही के नोटिस बोर्ड पर चरप्पा की जायेगी। योग्य आवेदकों को साक्षात्कार के संबंध में पृथक से सूचित किया जायेगा। उक्त सूचनाएं जिला न्यायालय की वेबसाईट पर भी अपलोड की जायेंगी। इस सम्बन्ध में आवेदकों को व्यक्तिगत रूप से पृथक से किसी प्रकार की सूचना इस कार्यालय द्वारा नहीं दी जायेगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से जिला न्यायालय की वेबसाईट <https://sirohi.dcourts.gov.in/> विजिट करें।

नोट :-

- 1) निम्नलिखित व्यक्ति पेरा लीगल वॉलेन्टियर्स हेतु आवेदन करने के पात्र नहीं हैं :-
अधिवक्तागण, राजनीतिक संगठनों से सक्रिय रूप से जुड़े हुए व्यक्ति, एन.जी.ओ. के कार्यकर्ता, किसी अपराध का अभियुक्त हो, ऐसे व्यक्ति जो मानसिक रूप से पेरालीगल वॉलेन्टियर का कार्य करने में असक्षम हो, ऐसे व्यक्ति जिनके व्यक्तिगत हित किसी भी आधार पर पेरालीगल वॉलेन्टियर्स स्कीम के हितों को प्रभावित करते हो।
- 2) पीएलवी की नियुक्ति तथा हटाने से संबंधित सम्पूर्ण अधिकार अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरौही के पास सुरक्षित रहेंगे।

अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
सिरौही

क्रमांक / जिविसेप्रा / PLV-विज्ञप्ति / 2025 / ~~1905-1937~~

दिनांक 27/06/25

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही :-

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सिरौही ।
2. श्रीमान् अध्यक्ष, ताल्लुका विधिक सेवा समिति, शिवगंज / रेवदर / आबुरोड / पिण्डवाड़ा ।
3. जिला समाज कल्याण अधिकारी, सिरौही।
4. जिला जनसम्पर्क अधिकारी, सिरौही को प्रचारार्थ ।
5. राजकीय विधि महाविद्यालय / मां अम्बे के.पी. संघवी विधि महाविद्यालय / राजकीय महिला महाविद्यालय, सिरौही ।
6. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक / प्रारंभिक शिक्षा, सिरौही ।
7. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी / मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही ।
8. जिला रोजगार अधिकारी, सिरौही ।
9. खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरौही / शिवगंज / रेवदर / आबुरोड / पिण्डवाड़ा ।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, सिरौही
11. आयुक्त, नगर ~~परिवर्त~~ सिरौही ।
12. जिला कारागृह, सिरौही ।
13. उपकारागृह, आबुरोड ।
14. सूचना पट्ट जिला विधिक सेवा प्राधिकरण / जिला न्यायालय, सिरौही

15. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, सिरौही।
16. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, शिवगंज/रेवदर/आबुसेड़/पिण्डवाडा।
17. सिस्टम ऑफिसर को जिला न्यायालय, सिरौही की वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।



सचिव,

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(अपर जिला न्यायाधीश),
सिरौही

पैरा लीगल वॉलेन्टीयर्स (पी.एल.वी.) बाबत आवेदन पत्र का प्रारूप

1.	आवेदक का नाम	:	_____	अभ्यर्थी का हस्ताक्षरयुक्त नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो
2.	पिता/पति का नाम	:	_____	
3.	आवेदक के पति/पत्नि का नाम (यदि आवेदक अविवाहित है तो स्पष्ट "अविवाहित" लिखें)	:	_____	
4.	जाति	:	_____	
5.	संवर्ग-सामान्य/अजा/अजजा/ अपिवर्ग (जिस वर्ग से संबंधित हो लिखें)	:	_____	
6.	स्थायी पता	:	_____	
7.	वर्तमान पता	:	_____	
8.	मोबाईल नंबर	:	_____	
9.	ई-मेल आईडी	:	_____	
10.	निकटतम पुलिस स्टेशन	:	_____	
11.	जन्म तिथि (अंकों में)	:	_____	
	(शब्दों में)	:	_____	
12.	शैक्षणिक योग्यता	:	_____	
13.	यदि आवेदक सेवा निवृत्त कर्मचारी है, तो किस पद से सेवानिवृत्त हुए	:	_____	
14.	आवेदक के विरुद्ध कोई फौजदारी प्रकरण लंबित है अथवा नहीं, यदि है तो पूर्ण विवरण	:	_____	
15.	राष्ट्रीयता	:	_____	
16.	आवेदक पीएलवी के रूप में स्वेच्छा से कार्य करने के लिए तैयार है (आवेदक निम्न में से किस स्थान पर कार्य करने हेतु इच्छुक हैं उसका स्पष्ट उल्लेख करें :- 1. सिरोही मुख्यालय 2. पंचायत समिति रेवदर, पिण्डवाड़ा, शिवगंज, आबुरोड़।	:	_____	
17.	आवेदक वर्तमान में किसी संस्था, एनजीओ या किसी विशेष ग्रुप से जुड़ा है तो उसका विवरण	:	_____	

आवेदक के हस्ताक्षर

मैं सत्यापित करता/करती हूँ कि प्रार्थना पत्र में अंकित उपरोक्त सभी तथ्य मेरी निजी जानकारी में सत्य हैं।